

कार्यालय— प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
Office of the Principal & Controller RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550

Website : www.ruhsCMS.org

Email : principalruhsCMS@ruhsraj.org



Address :

Sector-11, Kumbha Marg,

Pratap Nagar, Tonk Road,

Jaipur -302033

(Rajasthan)

क्रमांक : संस्था/OPS/2023-24/ 10320

दिनांक : 17/08/2023

—: कार्यालय आदेश :-

वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 20164 दिनांक 01.08.2023 के क्रम में विकल्प पत्र प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 31.08.2023 तक बढ़ाई जाती है।

संलग्न : उपरोक्त आदेश की प्रति।

(प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक)

राज०स्वा०वि०वि० आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
जयपुर।

क्रमांक : संस्था/OPS/2023-24/ 10321-33

दिनांक : 17/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि.आयु.महाविद्यालय जयपुर।
4. वित्त अधिकारी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि.आयु.महाविद्यालय जयपुर।
6. मुख्यलेखाधिकारी, इस महाविद्यालय, जयपुर।
7. चिकित्सा अधीक्षक, राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान चिकित्सालय एवं चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय रू.दे.बे.प्र. जयपुरिया चिकित्सालय, को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेशों के संबंध में आवश्यक रूप से जानकारी/निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीकारी प्रभारी समस्त अनुभाग, समस्त प्रभारी अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेशों के संबंध में आवश्यक रूप से जानकारी/निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
9. अटल बिहारी वाजपेई आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, अति. कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संवाई मानसिंह चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर, प्रधानाचार्य राज.स्वा.वि.वि.दन्त महाविद्यालय, जयपुर, नोडल अधिकारी, इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर एवं प्रधानाचार्य राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस महाविद्यालय द्वारा आपके अधीन कार्यरत/पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेशों के संबंध में आवश्यक रूप से जानकारी/निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रभारी अधिकारी इस महाविद्यालय वेबसाइट, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
11. समस्त संबंधित नियमित चिकित्सक शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, इस महाविद्यालय, जयपुर।
12. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
13. रक्षित पत्रावली।

(अतिरिक्त प्रधानाचार्य)

राज०स्वा०वि०वि० आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
जयपुर।



114

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय Rajasthan University of Health Sciences

सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर -302033
दूरभाष : 0141-2795501, फ़ैक्स : 0141-2791803

एफ-3() एफ.ए.बी./राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2023-24/20164

दिनांक 01.08.2023

कार्यालय आदेश

विषय : राजकीय उपकर्मों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहाँ CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना लागू करने बाबत।

संदर्भ : वित्त (नियम) विभाग की अशा. टीप क्रमांक प.13(12)वित्त(नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17.06.2023 तथा 06.07.2023 तथा वि.वि. के आदेश क्रमांक 12745 दिनांक 17.06.202, 15789-800 दिनांक 11.07.2023 एवं 16605 दिनांक 15.07.2023

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 27.07.2023 के क्रम में विकल्प पत्र प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 31.08.2023 तक बढ़ाई जाती है।

एफ-3() एफ.ए.बी./राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2023-24/20165-69

दिनांक 01.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय प्रति कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलसचिव महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
4. समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिक, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी